4192
3/3/2010

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय बून्दी

2-A-11, Vikas Nager, Bai Pass Road, Bundi (Raj.) 2–ए–11, विकास नगर, बाईपास रोड, बून्दी (राज.)
E-Mail-mebundi-2@dmg-raj.org ____ फैक्स एवं फोन नं0–0747–2442484 ______ Meiibundi@yahoo.in

क्रमांक :- ख.अ./बून्दी-II/सी0सी0-II/एम0एल0-698/97/ दिनांक

3459
02/03

:: कार्यालय आदेश ::

चुंकि खनन पटटा खनिज मेसेनरी स्टोन क्षैत्र 10000 व.मी. निकट ग्राम मीणों की झोपडिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा के आदेश कमांक : अखअ/कोटा वृत/प.-430/2000/3805 दिनांक 07.08.2000 से वार्षिक स्थिर भाटक रू0-5000/- सालाना पर अवधि दि-02.11.2000 से 01.11.2020 तक श्री मैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था।

ओर चुंकि पटटेधारी को कार्यालय नोटिस कमांक 264 दिनांक 09.01.2007 से उक्त स्वीकृत क्षैत्र के लिए वन विभाग द्वारा अनापत्ति जो उनके पत्र कमांक : 4665 दिनांक 14.06.2000 से जारी की गई को वन विभाग द्वारा पत्र कमांक : एफ ( ) सर्वे/मवअ/06/13931 दिनांक 12.12.2006 से निरस्त कर दी गई। वन विभाग द्वारा वन अनापत्ति निरस्त कर दिये जाने पर अब उक्त खनन पटटा वन क्षैत्र में आ जाने से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना अभी तक नही की गई है। खनन पटटा खण्डित करने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत कोटा के पत्र कमांक : 1265 दिनांक 27.02.2007 से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

अतः नोटिस दिनांक 09.01.2007 की पालना में खनन पटटा क्षैत्र वन सीमा में आ जाने के कारण प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 18 (21) एवं (22) व अनुबंध की धारा 4 (21) (22) खनन पटटा खण्डित किया जाता है। बकाया राशि की वसूली भू- राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जावेगी।

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय बून्दी

क्रमांक :- ख.अ./बून्दी-II/सी0सी0-II/एम0एल0-698/97/ 497 दिनांक 23/2/10
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी
(2) श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा
(3) अधीक्षण भू-वैज्ञानिक (रि0से0) (सह नोडल अधिकारी (वेबसाईज अपडेशन)) निदेशालय, उदयपुर
(4) श्री मैरूप्रकाश जैन पुत्र श्री राजमल जैन निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी को दी जाकर लेख है कि क्षैत्र का कब्जा खनि कार्यदेशक को सम्भलावें।
(5) श्री राजेन्द्र भटट, सर्वेयर को दी जाकर लेख है कि क्षैत्र का कब्जा पटटाधारी से तुरन्त प्राप्त कर राज्य सरकार के पक्ष में लेवें।
(6) मांग शाखा को दी जाकर लेख है कि अन्तर प्रतिभूति की मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही की जावे।
(7) संगणक
(8) अधिशुल्क निर्धारण
(9) केशियर कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि खनन पटटे की प्रतिभूति पेटे जमा एन.एस.सी. रू.-1500/- केशियर पुस्तिका कमांक 484 दिनांक 04.11.2000 को भुंनाकर राजकोष में जमा करावें।
(10) मानचित्रकार
(11) रक्षित पत्रावली/आनलाईन आपरेटर

खनि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय बून्दी